[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्यां **66**/2021- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2811 22 00 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधिसूचना संख्या 6/40/2020-डीजीटीआर, दिनांक 20 सितम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि विषयगत देशों से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण यहां के घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए इस पर प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जरूरी है और उन्होंने विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तु पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रति􀀀पाटन शुल्क लगाती है, यथा :-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1.	28112200	अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	मेसर्स शेनडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कं, लिमिटेड	1,018	मीट्रिक टन	अमेरिकी डालर
2.	28112200	अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	वेकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजीगांग) कं, लिमिटेड	शून्य	मीट्रिक टन	अमेरिकी डालर
3.	28112200	अनट्रीटेड फ्यूम्ड	चीन जनवादी	चीन जनवादी गणराज्य	क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित	1,296	मीट्रिक	अमेरिकी

		सिलिका	गणराज्य	समेत कोई भी देश	से भिन्न कोई भी उत्पादक		टन	डालर
4.	28112200	अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका	चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य से भिन्न कोई देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	1,296	मीट्रिक टन	अमेरिकी डालर
5.	28112200	अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	ओआईसी कंपनी लिमिटेड	शून्य	मीट्रिक टन	अमेरिकी डालर
6.	28112200	अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 5 में उल्लिखित कोई भी उत्पादक	373	मीट्रिक टन	अमेरिकी डालर
7.	28112200	अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका	कोरिया गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	373	मीट्रिक टन	अमेरिकी डालर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/234/2021-टीओ (टीआरयू-1)-सीबीईसी]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार